संख्या- 9/2026/988-12-3-2025-1893529

प्रेषक

प्रदीप मिश्र,

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

खाद्य प्रसंस्करण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 09.01.2026**

विषय:- राज्य कृषि विकास योजना (SADP) के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 00-800-अन्य व्यय 04-कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-रा0कृ0वि0यो0/813/लेखा-02-आर-एस0ए0डी0पी0/2025-26, दिनांक 26.11.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कृषि विकास योजना (SADP) के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 00-800-अन्य व्यय 04-कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण विभाग की परियोजना हेतु रू0 206.00 लाख **(रू0 दो करोड़ छः लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से **(प्रपत्र बी0एम0-9 संलग्न)** आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 00-800-अन्य व्यय 04-कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना

धनराशि लाख रू0 में

क्रस	मानक मद	आय-व्ययक अनुमान 2025-26	स्वीकृत धनराशि
			Electricity Connection in 14 Common Incubation Centers.
1	2	3	4
	42-अन्य व्यय	1500.00	206.00

(रू0 दो करोड़ छः लाख मात्र))

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण सुसंगत अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी। नियोजन विभाग के निर्देशों एवं स्वीकृत परियोजना प्रारूप का पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस संदर्भ में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नीतिगत दिशा-निर्देशों/निर्धारित गाइडलाइन्स की शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में नियोजन/वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा ,जिन मदों के लिए कार्ययोजना पर उक्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। योजना का मिड टर्म वैल्यूएशन किसी थर्ड पार्टी से कराया जायेगा। योजना में अपेक्षित कम्प्यूटर/हार्डवेयर की पूर्ति हेतु विभाग में अन्य योजनाओं के माध्यम से पूर्व से उपलब्ध संसाधनों के लिए उक्त योजनाओं से डबटेलिंग कर व्यय को यथासंभव नियंत्रित एवं संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में ओवरलैपिंग नहीं होगी।

3. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण यह सुनिश्चित करेगें कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

5. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण का होगा।

6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण का उत्तरदायित्व होगा।

7. वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/निदेशक, उद्यान जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

11. स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय/क्रय नियमों/प्रक्रिया के अनुसार व्यय करने तथा प्रत्येक व्यय में निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ//निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण का होगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी। जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

13. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 00-800-अन्य व्यय 04-कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(प्रदीप मिश्र)
अनु सचिव

संख्या-988(1)/12-3-2025-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध सहित से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
4- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
8- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप मिश्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in